तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **जगदीश बनाम प्रकाश चन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। प्रकरण में बार–बार रूक रूककर आवाजे दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिवक्ता अपीलान्ट के न्यायालय में हाजिर नही होने के कारण प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी अनुपस्थित रहे है तथा उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के रजिस्टर्ड एवं सादा नोटिस भी अभी तक प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खरिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	